न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुनील कुमार पीपलीवाल आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 33/2024 दायर दिनांकः 19.12.2024

उनवान

1. मोहम्मद अनीस पुत्र अब्दुल रज्जाक जाति मुसलमान निवासी शेरगढ हाल वल्लभनगर टावर कॉलोनी मस्जिद के पास छबडा जिला बारां (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—

प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री हरीश गालव द्वितीय

अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय दिनाकः 30.10.2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल शेरगढ़ तहसील अटरू जिला बारां (राज.) में खाता संख्या 13 का खसरा नं. 314 का रकबा 1.09 है0 कुल किता 1 का रकबा 1.09 हैक्टर आराजी प्रार्थी के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है। नक़ल जमाबन्दी सम्वत 2071—2074 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। वाके ग्राम एवं माल शेरगढ़ तहसील अटरू जिला बारां (राज.) में खाता संख्या 14 का खसरा नं. 253/901 का रकबा 0.20 है0, खसरा नं. 255 का रकबा 0.70 है0, खसरा नं. 256 का रकबा 0.06 है0, खसरा नं. 257 का रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 258 का रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 259 का रकबा 0.16 है0, खसरा नं. 260 का रकबा 0.45 है0, खसरा नं. 261 का रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 262 का रकबा 1.20 है0, खसरा नं. 263 का रकबा 0.13 है0 कुल किता 10 का रकबा 3.00 हैक्टर आराजी प्रार्थी के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है। नक़ल जमाबन्दी सम्वत 2071—2074 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है।

प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित आराजीयात में प्रार्थी का नाम मोहम्मद अनीस के स्थान पर अब्दुल हनीश दर्ज हो गया है जो कि गलत अंकित है। जबकि प्रार्थी का सही नाम मोहम्मद अनीस है जो कि उसके आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी आदि दस्तावेजों में भी मोहम्मद अनीस नाम ही दर्ज है। उक्त समस्त दस्तावेजात व सरपंच ग्राम पंचायत शेरगढ़ द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, जो काबिले गौर है। प्रार्थना पत्र की मद् नं0 1 व 2 में वर्णित आराजी में राजस्व कर्मचारीगणों द्वारा की गई त्रुटि को प्रार्थी दुरुस्त करवा कर अपना नाम अब्दुल हनीश के स्थान पर मोहम्मद अनीस दर्ज करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारीगणों के द्वारा किये गए गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य से प्रार्थी का नाम अब्दुल हनीश कर देने से प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम भिन्न भिन्न होने से प्रार्थी बैंक से कृषि ऋण प्राप्त नही कर पा रहा है और न ही अन्य कृषि योजनाओं इत्यादि का लाभ प्राप्त कर पा रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से नाम दुरुस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी । प्रार्थना पत्र पत्र की मद नं. 1 व 2 में वर्णित भूमि में हो रही त्रुटि को प्रार्थी दुरुस्त करवा कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का अधिकारी है। बिना सहायता न्यायालय राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त करवाया जाना संभव नहीं है, अस्तु माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से उसे अप्रार्थी बनाया गया है। आराजी ग्राम/माल शेरगढ तहसील अटरू जिला बारां में होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जायेंगे।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 व 2 में वर्णित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी ग्राम/माल शेरगढ़ में खाता संख्या 13 की कुल किता 1 का रकबा 1.09 हैक्टर व खाता संख्या 14 की कुल किता 10 का रकबा 3.00 हैक्टर में प्रार्थी का नाम अब्दुल हनीश के स्थान पर मोहम्मद अनीस दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/2454 दिनांक 07.07.2025 को शामिल फाईल किया गया।

साक्ष्यप्रार्थी के तहत शपथ पत्र Pw1 मोहम्मद अनीस पुत्र अब्दुल रज्जाक जाति मुसलमान निवासी शेरगढ हाल वल्लभनगर टावर कॉलोनी मस्जिद के पास छबडा जिला बारां, Pw2 अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल रज्जाक जाति मुसलमान निवासी शेरगढ हाल चांदखेडी तहसील खानपुर व Pw3 अमन शेख पुत्र अब्दुल रज्जाक जाति मुसलमान निवासी शेरगढ हाल जोशी कॉलोनी छबडा जिला बारां के शपथ पत्र पेश किए गए तथा अभिभाषक प्रार्थी की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल शेरगढ सम्वत 2071–74 खाता संख्या 13, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल शेरगढ सम्वत 2071–74 खाता संख्या 14, सरपंच ग्राम पंचायत शेरगढ प्रमाण पत्र दिनांक 01.09. 2024, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पास बुक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा छबडा, शपथ पत्र गवाहान व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 13 व 14 ग्राम शेरगढ में सहखातेदार प्रार्थी के सगे भाई अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल रज्जाक व अमन शेख पुत्र अब्दुल रज्जाक ने भी अब्दुल हनीश का नाम मोहम्मद अनीस होना स्वीकार किया है।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण, साक्ष्यप्रार्थी तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल शेरगढ तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 13 का खसरा नं. 314 का रकबा 1.09 है0 आराजी व ग्राम व माल शेरगढ तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 14 कुल किता 10 का कुल रकबा 3.00 है0 आराजी में सह खातेदार अब्दुल हनीश पुत्र अब्दुल रज्जाक के स्थान पर मोहम्मद अनीस उर्फ अब्दुल हनीश पुत्र अब्दुल रज्जाक किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल शेरगढ तहसील अटरू की

आराजी खाता संख्या 13 का खसरा नं. 314 का रकबा 1.09 है0 आराजी व ग्राम व माल शेरगढ तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 14 कुल किता 10 का कुल रकबा 3.00 है0 आराजी में सह खातेदार अब्दुल हनीश पुत्र अब्दुल रज्जाक के स्थान पर मोहम्मद अनीस उर्फ अब्दुल हनीश पुत्र अब्दुल रज्जाक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। जमाबन्दी के शेष अंकन यथावत रहेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां